न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–4 अजमेर (राज०)

पीठासीन अधिकारी
ऋतु मीणा,
(RJS–DJ CADRE)
निर्णय दिनांक : 07.10.2025
सेशन प्रकरण सं. 289/2021 (19/2021)
सी.आई.एस. नं. 289/2021
CNR No. RJAJ010033352021

एफ.आई.आर.संख्या 253/2020 पुलिस थाना रामगंज, जिला अजमेर (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 143, 147, 149, 341, 323, 307 भा०दं०सं०
PART– I
A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री गुलाम नज़मी फारूकी, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01–आकाश कहार पुत्र श्री राजू कहार उम्र 20 साल निवासी जवाहर की नाडी चन्द्रवरदाई नगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर 02– कुनाल उर्फ कुशाल पुत्र श्री मुकेश उर्फ बृजलाल उम्र 18 साल 6 माह निवासी सोमलपुर पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर **(मफरूर)** 03–राजा कहार पुत्र श्री मुन्ना कहार उम्र 20 साल निवासी केयर ऑफ बाबुलाल रेगर का मकान गली नम्बर 05 दीपदर्शन कालोनी पुलिस थाना रामगंज अजमेर 04–राधाकिशन पुत्र श्री नारायण गुर्जर उम्र 20 साल निवासी नवदुर्गा कालोनी एचएमटी के पीछे जवाहर की नाडी पुलिस थाना रामगंज अजमेर **(फौत)** 05–श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री करण गुर्जर उम्र 39 साल निवासी जवाहर की नाडी पुलिस थाना रामगंज अजमेर
प्रतिनिधित्व द्वारा	01– विद्वान अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज भाटी, श्री अभय वर्मा, वास्ते अभियुक्तगण

B

अपराध की दिनांक	19.07.2020

एफ०आई०आर० की दिनांक		20.07.2020
आरोप पत्र की दिनांक		26.08.2021
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		17.05.2022
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		07.10.2025
निर्णय सुनाने की दिनांक		07.10.2025
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	परिवीक्षा का लाभ

C
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	आकाश कहार	26.08.2020	25.09.2020	143, 147, 341, 323, 307, 149 भादस	दोषसिद्ध	परिवीक्षा का लाभ	26.08.20 से 25.09.20
02.	कुनाल उर्फ कुशाल			**(मफरूर)**			
03.	राजा कहार	26.08.2020	25.09.2020	143, 147, 341, 323, 307, 149 भादस	दोषसिद्ध	परिवीक्षा का लाभ	26.08.20 से 25.09.20
04.	राधाकिशन			**(फौत)**			
05.	श्रीमती लाली देवी	–	–	143, 147, 341, 323, 307, 149 भादस	दोषमुक्त	–	–

PART– II
साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	लक्ष्मी	ताईद प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
PW2	टोनी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
PW 3	रामस्वरूप	ताईद एफ एस एल जमा
PW4	नवीन खुबचंदानी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसीए फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
PW5	सन्नी उर्फ खेमचन्द	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसीए फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
PW6	धीर सिंह	ताईद मालखाना
PW7	डॉ भंवर खलदानिया	ताईद एक्सरे रिपोर्ट
PW8	डॉ विपिन गुप्ता	ताईद आई आर व एक्सरे रिपोर्ट
PW9	डॉ नेहा तंवर	ताईद आई आर मजरूब नारायण सिंह
PW10	शिवकरण	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण, फर्द जब्ती, फर्द बरामदगी नक्शा मौका घटनास्थल
PW11	बाबूलाल	अनुसंधान अधिकारी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित**	**वर्णन**
1	Ex P1	तहरीरी रिपोर्ट
2	Ex P2	चाक एफ.आई.आर.
3	Ex P3	नक्शा मौका घटनास्थल
4	Ex P4	फर्द जब्ती कपड़े
5	Ex P5	फर्द जब्ती बनियान
6	Ex P6	अग्रेषण पत्र
7	Ex P7	एफ एस एल को लिखा गया पत्र
8	Ex P8	प्राप्ति रसीद
9	Ex P9	पुलिस बयान सन्नी उर्फ खेमचंद
10	Ex P10	मूल मालखाना रजिस्टर
11	Ex P11	एक्सरे रिपोर्ट
12	Ex P12 से Ex P13	एक्सरे प्लेट्स
13	Ex P14 से Ex P15	चोट प्रतिवेदन
14	Ex P16	चोट प्रतिवेदन नारायण
15	Ex P17 से Ex P19	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण
16	Ex P20 से Ex P21	फर्द जब्ती अंग्रेजी बबूल
17	Ex P22 से Ex P23	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
18	Ex P24 से Ex P25	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
19	Ex P26	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राधाकिशन
20	Ex P27 से Ex P32	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला
21	Ex P33	एफ एस एल रिपोर्ट
22	Ex P34 से Ex P37	रोजनामचा रपट

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	NIL

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1– इस प्रकरण में पुलिस थाना रामगंज के भारसाधक अधिकारी द्वारा आरोप पत्र अभियुक्तगण आकाश कहार, कुनाल उर्फ कुशाल, राजा कहार, राधाकिशन व श्रीमती लाली देवी के विरूद्ध भा0 दं0 सं0 की धारा 323, 341, 143, 147, 149, 307 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 5, अजमेर में प्रस्तुत किया, जहां से यह प्रकरण श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर को कमिट होकर प्राप्त होने पर कालान्तर में यह प्रकरण इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर हुआ।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.07.2020 को परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 19–07–2020 को वह और उसका भाई उनके घर के बाहर बैठे थे तब समय 8–30 पर दो मोटरसाईकिल पर दीपक गुर्जर सदीप गुर्जर राधा गुर्जर आकाश काहर कुनाल राजा काहर ये सब मोटरसाईकिल पर बैठकर आये और उसके भाई टोनी को बोला कि तुम्हारी गाडी साईड करो तो उसके भाई ने बोला कि बहुत जगह है निकल जाओ लेकिन ये सब दारु पीये हुये थे और उसके भाई के साथ गाली गलौच करने लग गये तब उसने उनको गाली गलौच करने से मना किया तो वो लोग कहने लगे कि रोड तुम्हारे बाप का है क्या फिर और ज्यादा गालियां देने लगे और अपनी गाडियां वहां खडी कर लकडी डंडे अपने घरो से लेकर आये दीपक के हाथ कुल्हाडी थी, आकाश के हाथ में डंडे थे व संदीप के हाथ में कुल्हाडी थी। आते ही इन लोगों ने उसके व उसके भाई टोनी के साथ डंडे व कुल्हाडी के साथ मारपीट की। दीपक ने कुल्हाडी से उसके सिर पर वार किया जिससे उसके सिर में खून आ गया। तब उसका भाई टोनी उसे बचाने आया तो संदीप गुर्जर ने उसके भाई के सिर में डंडे की दे मारी, जिससे उसके भाई के सिर में खून आ गया व तभी राधा गुर्जर व आकश काहर ने भी डंडे से उसके भाई के साथ मारपीट करने लगे। वह चिल्लाई, तब उसके पिताजी बाहर आये तब उनके साथ भी मारपीट की। उसकी पुकार सुनकर उनके पडौसी नवीन व सनी ने आकर बीच बचाव कराया, तब वे लोग मारपीट करके भाग गये। उसी समय दीपक गुर्जर की मां व बहन भी आई, जिन्होंने भी उसके बाल पकडकर मारपीट की। मारपीट से उसके व उसके भाई के सिर में गम्भीर चोट आई है। उसके पिताजी के साथ भी मारपीट की, जिससे उनके भी चोटे आई है। उसकी बहन विमला बीच बचाव करने आई तो उनके साथ मारपीट की, जिससे उसके हाथ में चोट आई है................इत्यादि।

3– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 253/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 341,323, 143,307 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण आकाश कहार, कुनाल उर्फ कुशाल, राजा कहार, राधाकिशन व श्रीमती लाली देवी के विरूद्ध भा0 दं0 सं0

की धारा 323, 341, 143, 147, 149, 307 के अन्तर्गत संबंधित न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां से उक्त पत्रावली अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

4– बहस आरोप सुनी जाकर आदेश पृथक से लिखाया जाकर अभियुक्तगण को धारा 143, 147, 341/149, 323/149, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, जिन्हें अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कहानी को गलत होना बताते हुए स्वयं को झूंठा फंसाया जाना कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना करना चाहा, परन्तु अभियुक्तगण की ओर से सफाई पेश नहीं की गई।

6– उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है कि :–

1– क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक 19–07–2020 को समय करीब 8.30 पी–एम पर जवाहर नाडी, अजमेर में आपस में मिलकर सामान्य उददेश्य के अग्रसरण मे विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उक्त जमाव के सदस्य रहते हुए परिवादिया लक्ष्मी, उसके भाई टोनी तथा उसके पिता नारायण के साथ आपराधिक कृत्य कारित करने की नियत से एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा कारित कर बल्वा करते हुए परिवादिया लक्ष्मी, उसके भाई टोनी तथा उसके पिता नारायण के साथ कुल्हाड़ी, सरिये व डन्डे से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

2– क्या, अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण मे विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादिया लक्ष्मी, उसके भाई टोनी तथा उसके पिता नारायण को जाते हुए को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया ?

3– क्या, अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान व समय पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर सामान्य उद्देश्य को अग्रसरण में परिवादिया लक्ष्मी, उसके भाई टोनी तथा उसके पिता नारायण के साथ मारपीट कर खतरनाक हथियार कुल्हाड़ी, डन्डों से साशय व ज्ञानपूर्वक मारपीट कर उपहतियां कारित कर हत्या करने का प्रयत्न किया ?

5– यदि हां, तो अभियुक्तगण को दंड की किस मात्रा से दंडित किया जावे ?

7– <u>विचारणीय बिन्दु संख्या 01</u>–

"क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक 19–07–2020 को समय करीब 8.30 पी–एम पर जवाहर नाडी, अजमेर में एक आपस में मिलकर सामान्य उददेश्य के अग्रसरण मे विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उक्त जमाव के सदस्य रहते हुए परिवादिया लक्ष्मी, उसके भाई टोनी तथा उसके पिता नारायण के साथ आपराधिक कृत्य कारित करने की नियत से एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा कारित कर बल्वा कारित कर परिवादिया लक्ष्मी, उसके भाई टोनी तथा उसके पिता नारायण के साथ कुल्हाड़ी, सरिये व डन्डे से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?"

8– बहस के दौरान विद्वान अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। पत्रावली में प्रस्तुत गवाहान के द्वारा घटना को प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

9– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा यह तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण में परिवादीया लक्ष्मी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 प्रस्तुत की गई है उसकी पुष्टि न्यायालय के समक्ष बयानों में पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होकर नही की गई है। प्रकरण में चश्मदीद गवाह नवीन व सन्नी उर्फ खेमचन्द के द्वारा घटना की ताईद नही की गई। दोनो गवाह अपने सामने लडाई झगडा देखने से इन्कार करते है व गवाह लक्ष्मी व टोनी के बयानों में गंभीर विरोधाभास है और उनके बयानों से अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ मारपीट किया जाना प्रमाणित नही होता है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है जिससे अभियुक्तगण को प्रकरण में दोषसिद्ध किया जाये। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाये।

10– हस्तगत प्रकरण में परिवादीया लक्ष्मी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि दिनांक 19.07.2020 को वह व उसका भाई घर के बाहर बैठे हुए थे तब दो मोटरसाईकिल पर दीपक, संदीप, राधा, आकाश, कुणाल, राजा आये और उसके भाई टोनी को गाडी साईड में करने के लिए कहा तो उसके भाई ने कहा बहुत जगह है, निकल जाओ लेकिन वे सब दारू पीये हुए थे और उसके भाई के साथ गाली गलौच करने लगे। जब उसने गालियॉ देने से मना किया तो वे और ज्यादा गालियां देने लगे और अपनी गाडियॉ वहॉ खडी करके अपने घरो से लकडी डण्डे लेकर आये, आकाश के हाथ में डण्डा था, संदीप के हाथ में कुल्हाडी थी फिर आते ही इन लोगो ने उसके भाई टोनी के साथ डण्डे व कुल्हाडी के साथ मारपीट की। दीपक ने कुल्हाडी से उसके सिर पर वार किया जिससे

उसके सिर में खून आ गया, तब उसका भाई टोनी बचाने आया, तो संदीप ने उसके भाई के सिर में डण्डे की मारी जिससे उसके भाई के सिर में खून आ गया। राधा गुर्जर और आकाश कहार ने भी डण्डो से उसके भाई के साथ मारपीट की जब वह चिल्लाई तो उसके पिताजी आये तो उनके साथ भी मारपीट की। फिर उनकी आवाज सुनकर पडौसी नवीन व सन्नी ने आकर बीच बचाव किया, तब ये लोग मारपीट करके भाग गये थे, उस समय दीपक गुर्जर की मॉ व बहिन भी आई जिन्होने उसके बाल पकडकर मारपीट की। मारपीट से उसके भाई के सिर में गंभीर चोट आई है, उसके पिताजी को मारपीट से चोटे आई। उसकी बहिन विमला ने भी बीचबचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की जिससे उसके हाथ में चोट आई।

11– परिवादिया लक्ष्मी पीडब्ल्यू 1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुई है और वह अपने बयानों में यह कथन करती है कि 19.07.2020 को दो मोटरसाइकिल पर संदीप, दीपक, राधाकिशन, आकाश, कुनाल और राजा कहार आये, वह और उसका भाई टोनी घर के बाहर बैठे थे, तब उन्होंने उसके भाई को कहा कि तुम्हारी गाडी साईड में करो। तब उसके भाई ने कहा कि उसकी गाडी साईड में ही है तुम्हारी गाडी निकल जायेगी। ये सब दारू पीये हुए थे तथा उन्होंने उसके भाई को गालियां देना शुरू कर दिया तब उसने कहा कि गालियां मत दो तो वो कहने लगे कि रोड तुम्हारे बाप का है क्या, फिर उन्होंने अपनी गाडियां वहां खडी कर दी और उनके घरों से वे लकडी डण्डे और कुल्हाडी लेकर आये। दीपक के हाथ में कुल्हाडी थी। आकाश के हाथ में डण्डा था और संदीप के हाथ में कुल्हाडी थी। फिर इन्होंने उसके व उसके भाई टोनी के साथ डण्डे लकडी से मारपीट की। दीपक ने कुल्हाडी से उसके सिर पर मारी, जिससे उसका सिर फट गया। जब उसका भाई बचाने आया तो संदीप ने उसके भाई के सिर में डण्डे से मारी जिससे उसके भाई के सिर में खून आ गया। फिर राधाकिशन, आकाश व सबने मिलकर उसके भाई के साथ मारपीट की। वह चिल्लाई तो उसके पापा बाहर निकलकर आये तो इन लोगों ने उसके पापा के साथ भी मारपीट की। फिर उनके पडोसी नवीन व सन्नी आए, जिन्होंने बीच बचाव करवाया, तब ये लोग मारपीट कर भाग गए। फिर दीपक की मम्मी व उसकी बहन भी आई, जिन्होंने उसके बाल पकडकर मारपीट की। इस मारपीट से उसके भाई के सिर में गंभीर चोटें आई। उसकी बडी बहन उसे बचाने आई तो उसके साथ भी इन्होने मारपीट की। उसके सिर में आठ टांके आए और उसके भाई के चार टांके आए। उक्त हमला जान से मारने की नीयत से किया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 थाने में दर्ज कराई, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 3 उसकी निशादेही से बनाया। पुलिस ने उससे वक्त दुर्घटना पहने हुए कपडे जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 जब्त किए।

12– जिरह में गवाह ने बताया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उनके पडौसी नवीन ने लिखाई थी। प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट लिखवायी जब वह पूर्ण होश हवास में बता रही थी। उनकी

मुलजिमान से कोई पुरानी दुश्मनी या बैर भाव लडाई झगडा नहीं थे न ही उनके पडौसी नवीन व सन्नी का आरोपीगण से किसी प्रकार का झगडा था। वह मुलजिमानों को पहले से जानती है, जो उनके मौहल्ले के होने से जानती है। उनके घर का काम चल रहा था, इसलिये घटना वाले दिन बाहर उनकी स्कूटी खडी थी। उनके मकान के बाहर भवन निर्माण का सामान नहीं पडा था। गवाह ने आगे कहा कि एक कोने में बजरी पड़ी थी। उसके भाई को मुलजिमान ने गाडी हटाने के लिये कहा व निकल जाने के लिये कहा तब वह मौके पर ही थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 1 की कार्यवाही की पुश्त पर उसके शरीर पर आयी चोटो का अंकन नहीं है। जिस दिन मुलजिमान ने लडाई की उसी दिन रिपोर्ट रात के 10.00 बजे की थी। घटना वाले दिन हमारे कपडे जब्त नहीं किये थे, ना ही उन्होंने पुलिस को दिये थे। यह सही है कि संदीप ने उसके कुल्हाडी से नहीं मारी, गवाह ने आगे कहा कि संदीप ने उसके भाई को कुल्हाडी से मारा था। इस घटना से पहले आरोपीगण से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। घटना एकाएक ही घटित हुयी थी। यह कहना सही है कि अगर वे स्कूटी हटा देते तो झगडा नहीं होता। गवाह ने आगे कहा कि उनकी स्कूटी साइड में ही खडी थी। यह सही है कि पुलिस जिस दिन घटना का नक्शा मौका बनाने आयी उस दिन उसने कोई कपड़े पुलिस को नहीं दिये। इस सुझाव से गवाह इंकार करती है कि उसने व उसके भाई स्कूटी से स्लिप होकर गिर गये हो, जिससे मेरे चोटें आयी हो।

13– परिवादिया लक्ष्मी का भाई टोनी पीडब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो अपने बयानों में बताता है कि दिनांक 19.07.2020 को वह व उसकी बहन घर के बाहर बैठे थे, तब दो मोटरसाइकिलों पर दीपक, संदीप, आकाश, कुनाल, राधाकिशन व राजा कहार आए। वहां पर उसकी गाडी खडी थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गाडी साईड में करो, उसने कहा कि गाडी तो साईड में ही है, आप निकल जाओ। जिसपर उन्होंने कहा कि रोड तुम्हारे बाप का है क्या। फिर वो लोग गाली गलौच करने लग गए। उसकी बहन ने कहा कि गालियां मत दो तो वे लोग मारपीट पर उतारू हो गए। फिर वो अपने घरों से कुल्हाडी डण्डे लेकर आए और दीपक ने उसकी बहन के कुल्हाडी से सिर पर मारी। संदीप ने उसके सिर पर डण्डे से मारी और सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। कुल्हाडी व डण्डे से मारने से उसके व उसकी बहन के सिर से खून आने लग गया। पड़ोस में रहने वाले सन्नी व नवीन ने बीच बचाव किया तो सब लोग भाग गए। उसकी बहन के सिर में सात आठ टांके आए और उसके सिर में चार टांके आए। पडोसी बीच बचाव नहीं करते तो ये लोग जान से मार देते। घटना के दो तीन दिन बाद पुलिस ने उससे वक्त घटना पहने हुए एक बनियान एक कपडे की थैली में सील मोहर कर जरिये फर्द प्रदर्श पी 05 जब्त की थी। उसकी चोटों का ईलाज जेएलएन अस्पताल में करवाया।

14– जिरह में गवाह ने बताया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उनके पडौसी नवीन ने लिखी। उसका आरोपीगण से पुराना कोई लडाई झगडा नहीं था। आरोपीगण मोटरसाईकिल पर आये लेकिन उनके नम्बर उसे याद नहीं है। वह मुलजिमानो को पहले से जानता है, जो उनके पडौसी है। उनके मकान का काम लगभग दो महीनो से चल रहा था। मकान के निर्माण के काम के चलते उन्होंने पत्थर, बजरी, गिट्टी वहीं रोड पर डलवा रखी थी। यह सही है कि हमारे घर के सामने से मोटरसाईकिल आराम से निकलती है, जबकि चौपहिया वाहन बहुत मुशकिल से निकलते है। दीपक ने उनसे कहा था कि गाडी यहाँ से हटा लो। रिपोर्ट 19.07.2020 को की थी। आरोपीगण ने उन्हें स्कूटी हटाने के लिये कहा तो उन्होंने गाडी नहीं हटायी क्योंकि गाडी साइड में खड़ी थी। यह सही है कि उनके मकान का काम चल रहा था तब वे गाडी बाहर खड़ी करते थे। गवाह ने आगे कहा कि अभी भी वे बाहर ही वाहन खडा करते है व मौहल्ले वाले भी बाहर ही वाहन खड़ा करते है। इस सुझाव से इंकार करता है कि मौहल्ले वाले और वे लोग वाहनो को आम रास्ते पर बेतरतीब खडा करते हो जिससे राहगीरो को आने जाने में परेशानी होती हो। गवाह ने आगे कहा कि वे साइड में वाहन खड़ा करते है। दीपक के हाथ में जो कुल्हाडी थी उसका बॉसा लकडी का ही होगा। कुल्हाडी का बासा कितना लंबा था यह उसे नहीं पता। संदीप के हाथ में जो कुल्हाडी थी उसका बासा लकडी का था, बासा कितना लंबा था यह उसे नहीं पता। डंडे लकडी के थे लेकिन डंडे किस लकडी के थे बॉस के थे अथवा बबूल के थे यह वह नहीं बता सकता। डंडे व कुल्हाडियों आरोपीगण कुछ साथ लेकर गये कुछ को वहीं पटक गये। वे डंडे और कुल्हाडियाँ अपने साथ थाने लेकर नहीं गये न ही उनके पार्चेजात लेकर गये। इस सुझाव से गवाह इंकार करता है कि वह व उसकी बहन स्कूटी से स्लिप हो गये हो जिससे उनके चोट आयी हो।

15– चश्मदीद गवाह के रूप में गवाह पीडब्ल्यू 4 नवीन को परीक्षित कराया है, जिसने अपने बयानों में बताया है कि घटना लगभग 02 साल पुरानी लॉकडाउन के समय की है। वह उसकी बहन के घर सब्जी लेकर गया था। वे अंदर बातें कर रहे थे तो बाहर कुछ लोगों में झगडा हुआ था। झगडा कुछ ज्यादा हुआ था तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। झगडा टोनी कहार का हुआ था। जब उसने गेट खोला तब बाहर टोनी और उसकी बहन थी इसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। वे दोनों खून से लथपथ थे। टोनी और उसकी बहन ने बताया कि आकाश गुर्जर ने उनसे झगडा किया था। टोनी और उसकी बहन को लेकर वह और उसके परिवार वाले पहले थाने गये थे फिर हॉस्पीटल लेकर गये थे। थाने पर उसने लिखित रिपोर्ट दी थी जो कि उन दोनों के कहे अनुसार लिखी थी। रिपोर्ट लिखकर टोनी और उसकी बहन को पुलिस वाले हॉस्पीटल लेकर गये थे तब वह और उसके जीजा साथ ही थे। हॉस्पीटल में टोनी की बहन जिसका नाम उसे पता नहीं है. उसके सिर पर माथे पर टांके लगे थे। लगी चोटों का मेडिकल करवाकर वे वापस थाने पर आये थे। प्रदर्श पी–03, प्रदर्श पी–04 व प्रदर्श पी–05 पर गवाह ने अपना नाम व हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

16– जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने कोई लडाई–झगडा होते हुए नहीं देखा था। वह आरोपीगण के नाम टोनी और उसकी बहन के कहने पर बता रहा है। वह नक्शा मौका में समझता है। नक्शा मौके प्रदर्श पी–03 पर हस्ताक्षर उसने थाने पर किये थे। उसके सामने प्रदर्श पी–03 नहीं बनाया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–04 व पी–05 पर उसका नाम है लेकिन उसके हस्ताक्षर नहीं है। न ही उसके सामने किसी प्रकार की कोई जप्ती की कार्यवाही की गई थी न ही कोई सामान जप्त किया गया था।

17– अन्य चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 5 सन्नी उर्फ खेमचन्द परीक्षित हुआ है, जो अपने बयानों में घटना लगभग दो साल पुरानी लॉकडाउन के समय की होना बताता हुए कुछ लोगों में झगड़ा होने और झगडा ज्यादा होने से गेट बंद कर देने और झगडे में टोनी की बहन की चोटें आने, टोनी की बहन को हास्पिटल ले जाने और टोनी की बहन के किसने मारी, इस संबंध में उसे कुछ नहीं पता होने बाबत् कथन करता है। उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने बताया है कि उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखी। वह थाने पर नहीं गया था। फर्दों पर हस्ताक्षर उसने बाहर किये थे। उसके सामने किसी प्रकार की कोई जब्ती अथवा कार्यवाही नहीं की गई।

18– गवाह पीडब्ल्यू 10 शिवकरण ने अपने बयानों में बताया है कि दिनांक 26.08.2020 को अनुसंधान अधिकारी ने उसके व मनीष के समक्ष मुलजिम आकाश कहार को जरिये फर्द प्रदर्श पी 17, मुलजिम कुनाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी 18, मुलजिम राजा कहार को जरिये फर्द प्रदर्श पी 19 के गिरफतार किया था और 28.08.2020 को मुलजिम आकाश कहार की निशादेही पर एक अंग्रेजी बबूल की लकड़ी जरिये फर्द प्रदर्श पी 20, मुलजिम राधा उर्फ राधाकिशन की निशादेही से अंग्रेजी बबूल की लकड़ी जरिये फर्द प्रदर्श पी 21 जब्त की थी। दिनांक 26.08.2020 को मुलजिम आकाश कहार के बताये अनुसार फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 22, दिनांक 10.09.2020 को मुलजिम राधाकिशन के बताये अनुसार फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 23 व प्रदर्श पी 24 मुर्तिब किया। दिनांक 10.09.2020 को मुलजिम राधाकिशन की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के अनुसार फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 25 बनाया एवं मुलजिम राधाकिशन को जरिये फर्द प्रदर्श पी 26 के गिरफ्तार किया। जिरह में गवाह ने बताया कि सभी मुलजिमों को दिनांक 26.08.2020 को गिरफ्तार किया गया था। फर्द जब्ती प्रदर्श 20 व 21 उन्होंने दिनांक 27.08.2020 को मुर्तिब की थी। यह कहना सही है कि बरामदशुदा बबूल की लकड़ी आमतौर पर हर जगह उपलब्ध हो जाती है। फर्द जब्ती प्रदर्श 20 व 21 आईओ के द्वारा ही बनाई गयी थी। प्रदर्श पी 24–25 नक्शा मौका कहा बनाया उसे जानकारी नहीं है, गवाह ने आगे कहा, जवाहर की नाडी, चंद्रवरदायी नगर में बनाया था। मुझे जानकारी नहीं इसके आसपास किस–किसके मकान है।

19– गवाह पीडब्ल्यू 11 अनुसंधान अधिकारी बाबूलाल के द्वारा अपने बयानों में बताया है कि दिनांक 20.07.2020 को एसएचओ द्वारा दी गई तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 वास्ते अनुसंधान सुपुर्द की थी। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया था। दिनांक 25.07.2020 को परिवादिया से उसकी खून आलूदा बैंगनी रंग की कुर्ती को जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 जब्त किया। उसी दिन परिवादिया के भाई टोनी का खून आलूदा बनियान जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 जब्त किया था। गवाहों के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दौराने अनुसंधान मजरूब लक्ष्मी, टोनी व नारायण का मेडिकल करवाया गया जो प्रदर्श पी 14, 15 व 16 है, जो शामिल पत्रावली किया। अभियुक्तगण आकाश कहार, कुनाल, राजा कहार, राधाकिशन को जरिये फर्द प्रदर्श पी 17, प्रदर्श पी 18, प्रदर्श पी 19 व प्रदर्श पी 26 गिरफ्तार किया। मुल्जिमा लाली देवी की जमानत न्यायालय से हो चुकी थी। मुल्जिमान राजा, कुनाल, आकाश, राधाकिशन की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तल क्रमशः प्रदर्श पी 27, प्रदर्श पी 28, प्रदर्श पी 29 व प्रदर्श पी 31 के अनुसार मारपीट करने वाले स्थान को तस्दीक किया गया। मुल्जिमान आकाश, राधाकिशन की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तल क्रमशः प्रदर्श पी 30, प्रदर्श पी 32 मारपीट करने वाली लकड़ी जिस जगह रखी हुई है, वह चलकर बताना बताया। फर्द जब्ती एक अंग्रेजी बबूल की लकड़ी प्रदर्श पी 20 व प्रदर्श पी 21 है। फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 22 व प्रदर्श पी 23 मुलजिम की निशादेही से बनाया। दिनांक 10.09.2020 को मुलजिम राधाकिशन के बताये अनुसार फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 25 मूर्तिब किया। दौराने अनुसंधान जब्तशुदा माल की जाँच हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 6 है तथा कार्यालय पुलिस अधीक्षक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लिखा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 7 एवं माल जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 6 है। घटना में प्रयुक्त माल मालखाने में जमा कराया जो मालखाना रजिस्टर मूल प्रदर्श पी 10 तथा प्रति प्रदर्श पी 10 ए है। आहत लक्ष्मी का एक्सरे रिपॉर्ट फॉर्म प्रदर्श पी 11 है, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 12 व 13 है। बाद परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आई एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 33 है। पत्रावली पर रोजनामचा रपट विवरण प्रदर्श पी ,34, 35, 36 व 37 है। प्रकरण में जब्तशुदा माल में सफेद कपडे की थैली आर्टिकल 1 एक खून आलूदा कुर्ती आर्टिकल 3 एवं एक अन्य सफेद कपडे की थैली आर्टिकल 5 में 1 खून आलूदा सफेद क्रीम रंग का बनियान आर्टिकल 6, मुलजिम आकाश काहर से जब्तशुदा लकड़ी आर्टिकल 9 व एक अन्य सफेद कपड़े की थैली आर्टिकल 10 में एक खूल आलूदा बबूल की लकड़ी मुलजिम राधाकिशन से जब्त की आर्टिकल 12 है। बाद संपूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की, जिन्होंने संबंधित न्यायालय में मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश किया।

20– जिरह में गवाह ने बताया कि उक्त घटना दिनांक 19.07.2020 की है। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 किसकी कलमी है यह उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 पर टोनी कहार के कहीं साईन नहीं है। उसके द्वारा मुलजिमान को दिनांक 26.08.2020 को गिरफ्तार किया गया था। गवाह ने आगे कहा कि राधाकिशन को सितम्बर में गिरफ्तार किया था। घटनास्थल आबादी क्षेत्र है। आने जाने का मार्ग 15 फिट चौड़ा है। यह कहना सही है कि लकड़ी व कपड़ों पर जो खून मिला है, उसे उसके द्वारा आहत के खून से मिलान नहीं करवाया। जब्तशुदा माल उसके द्वारा धारा 27 की इत्तला पर एचएमटी ग्राउंड से जब्त किया था। यह बात सही है कि उक्त एचएमटी ग्राउंड खुला व सार्वजनिक स्थान है, जहाँ पर बबूल के पेड़–झाड़ियां है। यहां पर दिनभर लोगों की आवाजाही लगी रहती है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा माल आमतौर पर किसी भी आम रास्ते पर मिल जाता है। यह कहना सही है कि जहाँ घटना कारित हुई वहाँ आस–पास के लोगों ने कोई बयान नहीं दिये। गवाह ने आगे कहा कि कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे।

21– गवाह पीडब्ल्यू 3 रामस्वरूप, जिसके द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा माल को अनुसंधान अधिकारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को अग्रेषण पत्र बनवाकर दिया जाने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक से विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु अग्रेषण पत्र प्राप्त कर माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर मालखाना में जमा कराने बाबत् कथन करता है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 6, प्रदर्श पी 7 व रसीद प्रदर्श पी 8 होना बताता है। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि एसपी कार्यालय व विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाने संबंधी उसकी कोई रपट रोजनामचा पत्रावली पर नहीं है।

22– गवाह पीडब्ल्यू 6 धीर सिंह जो कि दिनांक 25.07.2020 को पुलिस थाना रामगंज में मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित होने एवं बाबूलाल जाटोलिया द्वारा मुकदमा नम्बर 253/20 में जब्त माल पेश करने पर उसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर करने एवं मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 10, जिसकी प्रति प्रदर्श पी 10 ए होने बाबत् कथन करता है। जिरह में यह स्वीकार करता है कि माल उसे सीलशुदा अवस्था में जमा कराया, उस पर सील का क्या इंप्रेशन था, वह आज नहीं बता सकता। यह सही है कि उसने माल खोलकर नहीं देखा।

23– गवाह पीडब्ल्यू 8 डॉक्टर विपिन गुप्ता परीक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा मजरूबा लक्ष्मी व मजरूब टोनी के चोटों का मुआयना किया गया था और मजरूबा लक्ष्मी के कुल दो चोटें पाई थी, जिसमें चोट संख्या 1– कुचला हुआ टांके लगा हुआ भाग जिसका आकार 3 सेमी. सिर के अग्र भाग के बीच में था। जिसके किनारे सूजे हुये थे तथा घाव से सीरम निकल रहा था एवं चोट संख्या 02– खरोचनुमा चोट जिसका आकार 0.5 गुणा 0.5 सेमी. गर्दन के दायी तरफ था। चोट संख्या 1 के लिये राय रिजर्व रखी गई थी और एक्सरे करवाने की

सलाह दी गई। चोट संख्या 02 साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी, जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 14 है और उसकी राय के अनुसार चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की पाई गई। मजरूब टोनी के कुल 2 चोटें पाई गई, जिसमें चोट संख्या 01– कुचला हुआ टांके लगा हुआ भाग जिसका आकार 5 सेमी. सिर के अग्र भाग में था एवं चोट संख्या 02– दायी पहली अंगुली का नाखुन आधा निकला हुआ था। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थीं, जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 15 है एवं एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 है। जिरह में गवाह ने इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी 14 व 15 में वर्णित चोटें यदि कोई व्यक्ति चलती हुई मोटरसाईकिल अथवा अन्य किसी दोपहिया वाहन से गिर जाये तो ऐसी चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

24– गवाह पीडब्ल्यू 9 डॉक्टर नेहा तंवर जिनके द्वारा नारायण के चोटों का परीक्षण किया था और उसके शरीर पर तीन चोटें पाई गई थी, जिनमें चोट संख्या 01– पेट पर नाभी की दाहीनी तरफ खरोंच जिसका आकार 5 गुणा 4 सेमी. और रंग लाल का साफ्ट स्केब, चोट संख्या 02– पेट पर नाभी की बायी तरफ खरोच जिसका आकार 3 गुणा 0.5 सेमी. और लाल व भूरा रंग का साफ्ट स्केब, चोट संख्या 03– बाये घुटने मे दर्द की शिकायत आदि कारित थी, जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 16 है। उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थीं। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त समस्त चोटें दुपहिया वाहन से गिरने पड़ने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

25– पीडब्ल्यू 7 डॉक्टर भंवर खलदानिया, जिनके द्वारा मजरूब लक्ष्मी के शरीर का एक्सरे अपने निर्देश में तैयार करवाया था, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 12 व 13 है और उसकी राय के अनुसार आहत के सिर में किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं पाया गया।

26– हस्तगत प्रकरण में परिवादिया लक्ष्मी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 प्रस्तुत की गई थी, उसमें घटना दिनांक 19.07.2020 की बताते हुए जब वह और उसके भाई घर के बाहर बैठे थे, तब अभियुक्त आकाश, राजा, कुनाल के द्वारा मोटरसाईकिल पर आकर उसके भाई के साथ में गाड़ी साईड में हटाने की बात को लेकर लड़ाई–झगड़ा किया जाना बताया है और जब उसने बीच–बचाव किया तो अभियुक्तगण के द्वारा उसके व उसके भाई टोनी के साथ मारपीट करना बताया। जब उसके पिता बाहर आये तो उनके साथ भी मारपीट करना गवाह ने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में बताया है। परिवादिया के द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में मुल्जिम आकाश के द्वारा उसके हाथ में डण्डा होना और उससे मारपीट किया जाना बताया है। मारपीट से अपने व अपने भाई टोनी के सिर में चोटें आना बताया है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के परिप्रेक्ष्य में परिवादिया लक्ष्मी के जब बयानों का अवलोकन करते हैं तो पीडब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित होकर वह अपने बयानों में अभियुक्त आकाश, राजा के द्वारा मोटरसाईकिल

पर आकर उसके भाई से गाड़ी साईड में करने की बात को लेकर मारपीट करना बताती है और अभियुक्तगण के द्वारा उनके घर से लकड़ी, डण्डे, कुल्हाड़ी लेकर आना बताती है व आकाश के हाथ में डण्डा होना वह अपने बयानों में स्पष्ट करती है और अपने व अपने भाई टोनी के साथ में डण्डे व लड़की से अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किया जाना गवाह के द्वारा अपने बयानों में प्रमाणित किया गया है एवं उसके पिताजी जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आये तो अपने पापा के साथ भी इनके द्वारा मारपीट किया जाना परिवादिया ने प्रमाणित किया है। मारपीट से उसके भाई के सिर में चोटें आना गवाह ने बताया है। उक्त गवाह की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जो उसके मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों को सन्देहास्पद बनाता हो। अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा उक्त गवाह से यह सुझाव दिये जाने पर कि वह और उसका भाई स्कूटी से स्लिप होकर गिर गये हो, जिससे उनके चोटें आई हो, उक्त गवाह ने उक्त सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया। इस प्रकार, परिवादिया के बयानों से अभियुक्त आकाश व राजा के द्वारा उनके साथ मारपीट किये जाने के तथ्य को प्रमाणित किया गया है।

27– अन्य मजरूब टोनी पीडब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित हुआ है। उसके द्वारा भी अपने बयानों में परिवादिया लक्ष्मी के बयानों की पुष्टि करते हुए अभियुक्त आकाश व राजा के द्वारा मोटरसाईकिल पर आकर और गाड़ी साइड में लेने की बात को लेकर लड़ाई–झगड़ा किये जाने के तथ्यों को प्रमाणित किया है। वह अपने बयानों में सभी के द्वारा उनके साथ में मारपीट किया जाना बताता है। कुल्हाड़ी व डण्डे से अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने से उसके व उसकी बहन के सिर में खून आया, जिससे उसके चोटें कारित हुईं व बीच–बचाव नवीन व सन्नी के द्वारा किया जाना बताया है। गवाह नवीन पीडब्ल्यू 4 के रूप में और गवाह सन्नी पीडब्ल्यू 5 के रूप में परीक्षित हुआ है, परन्तु दोनों गवाहों के द्वारा घटना देखने से इंकार किया है और गवाह नवीन के द्वारा आरोपीगण का नाम टोनी व उसकी बहन के कहने के आधार पर बताना बताया है। यद्यपि प्रकरण में दोनों चश्मदीद गवाहों के द्वारा परिवादिया लक्ष्मी व टोनी के बयानों की पुष्टि नहीं की गई है, परन्तु दोनों मजरूबान लक्ष्मी व टोनी के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानों में अभियुक्त आकाश, राजा के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ में मिलकर उनके साथ में मारपीट किये जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

28– मजरूबान लक्ष्मी, टोनी, जो प्रकरण में आहतगण हैं और आहत साक्षी के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अवलोकन एवं विवेचन के संबंध में निम्न प्रकार से सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं:– the judgment of Hon'ble Apex Court in **Balu Sudan Khalde And Anr. Vs. The State of Maharashtra, Crl. Appeal No. 1910/2010** wherein on this aspect, it was held as under:–

"26. When the evidence of an injured eye–witness is to be appreciated, the under– noted legal principles enunciated by the Courts are required to be kept in mind:

(a) The presence of an injured eye–witness at the time and place of the occurrence cannot be doubted unless there are material contradictions in his deposition.

(b) Unless, it is otherwise established by the evidence, it must be believed that an injured witness would not allow the real culprits to escape and falsely implicate the accused.

(c) The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly.

(d) The evidence of injured witness cannot be doubted on account of some embellishment in natural conduct or minor contradictions.

(e) If there be any exaggeration or immaterial embellishments in the evidence of an injured witness, then such contradiction, exaggeration or embellishment should be discarded from the evidence of injured, but not the whole evidence.

(f) The broad substratum of the prosecution version must be taken into consideration and discrepancies which normally creep due to loss of memory with passage of time should be discarded.

29– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से प्रकरण की तीनों मजरूबान लक्ष्मी, टोनी के द्वारा अपने बयानों के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि अभियुक्तगण ने मजरूबान लक्ष्मी, टोनी व नारायण के साथ कुन्द हथियार से मारपीट की। इस प्रकार तीनों आहतगण लक्ष्मी, टोनी ने अपनी साक्ष्य से घटना को प्रमाणित किया है।

30– जहां तक प्रश्न, मजरूबा लक्ष्मी, टोनी व नारायण के मारपीट से चोटें आने के संबंध में है तो मजरूब नारायण की मृत्यु हो जाने से वह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है, परन्तु मजरूबान लक्ष्मी व टोनी के द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा जब उनके साथ में मारपीट की जा रही थी, तब नारायण बीच–बचाव करने आया तो अभियुक्तगण ने उनके साथ भी मारपीट करने के तथ्य को प्रमाणित किया है। उनके चोटों के संबंध में डॉक्टर नेहा तंवर

जो पीडब्ल्यू 9 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने मजरूब नारायण की चोटों का परीक्षण किया था और उसके शरीर पर पेट की नाभी की दोहिनी ओर व बांयी तरफ व बांये घुटने में दर्द की शिकायत थी, जो सभी चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी और मजरूब लक्ष्मी की सिर के अग्र भाग के बीच में टांके लगे हुए घाव 3 सेंटीमीटर और गर्दन के दांयी तरफ चोटें पाई गई थीं। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की व कुन्द हथियार से कारित थी व टोनी के सिर के अग्र भाग में 5 सेंटीमीटर टांके लगा हुआ घाव और दांयी पहली अंगूली का नाखून आधा निकला हुआ था, जो दोनों चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित पाई गई थी। मजरूबान लक्ष्मी व टोनी के द्वारा भी अपने बयानों में अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किया जाने से उनके शरीर में चोटें कारित होना बताया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्षी डॉक्टर विपिन के बयानों से होती है। गवाह पीडब्ल्यू 7 डॉक्टर भंवर, जिसके द्वारा लक्ष्मी के सिर का एक्सरे किया गया था और बाद एक्सरे उसके सिर में कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया था। इस प्रकार, पत्रावली पर प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से अभियुक्त आकाश व राजा के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मजरूबान लक्ष्मी, टोनी व नारायण के साथ मारपीट किया जाना व मारपीट से मजरूबान के कुंद हथियार से साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना प्रमाणित होता है।

31– इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त आकाश व राजा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मजरूबान के साथ मारपीट करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए मजरूबान लक्ष्मी व टोनी व उसके पिता नारायण के साथ में स्वेच्छया कुन्दहथियार से साधारण प्रकृति की चोटें कारित की गई। इस प्रकार अभियुक्त आकाश व राजा के विरुद्ध धारा 147, 323/149 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सन्देह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष सफल रहा है।

32– <u>विचारणीय बिन्दु संख्या 02</u>–

"क्या, अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण मे विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादिया लक्ष्मी, उसके भाई टोनी तथा उसके पिता नारायण को जाते हुए को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया ?"

33– जहां तक प्रश्न, अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मजरूब को जाते हुए को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित करने का है तो पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह तथ्य सामने आता है कि जब मजरूबान लक्ष्मी व टोनी अपने मकान के बाहर बैठे थे, तब अभियुक्तगण मोटरसाईकिल पर आये और उनके और टोनी के बीच गाड़ी हटाने

की बात को लेकर झगड़ा हुआ और अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई। मजरूब लक्ष्मी और टोनी के द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा उन्हें जाते हुए को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया गया है, क्योंकि मजरूबान घटनास्थल जो उनके घर की बाहर का स्थान था, वहीं पर बैठे थे और गाड़ी साइड में लेने की बात को लेकर उनके मध्य झगड़ा हुआ था और अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई थी। मजरूबान किसी स्थान विशेष पर जा रहे हों और उन्हें अभियुक्तगण के द्वारा जाते हुए को रोका गया हो, इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं आई है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष यह तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर मजरूबान को जाते हुए को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया हो। इस प्रकार अभियुक्त आकाश व राजा के विरुद्ध धारा 341/149 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सन्देह परे प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है।

<u>अभियुक्त लाली के संबंध में</u>–

34– जहां तक प्रश्न, हस्तगत प्रकरण में मुल्जिम लाली के द्वारा आरोपित अपराध कारित किये जाने का है तो परिवादिया लक्ष्मी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज कराई गई है, उसमें उसके द्वारा कहीं भी मुल्जिमा लाली के द्वारा उनके साथ में मारपीट किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। न ही न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित होकर ऐसा कोई कथन किया है कि मारपीट में मुल्जिमा लाली भी शामिल हो और लाली के द्वारा उसके, उसके भाई व पिता के साथ मारपीट की गई हो। इसी प्रकार, मजरूब टोनी जो पीडब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित हुआ है, वह भी अपने बयानों में अभियुक्ता लाली के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं करता है कि लाली के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ में मिलकर उनके साथ में मारपीट की गई हो। दोनों मजरूबान लक्ष्मी व टोनी के द्वारा घटनास्थल पर मुल्जिमा लाली भी उपस्थित हो, व घटना में शामिल हो, इस बाबत् कोई कथन नहीं किये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त लाली के विरुद्ध अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

35– <u>विचारणीय बिन्दु संख्या 04</u>–

"क्या, अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान व समय पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर सामान्य उद्देश्य को अग्रसरण में परिवादिया लक्ष्मी, उसके भाई टोनी तथा उसके पिता नारायण के साथ मारपीट कर खतरनाक

हथियार कुल्हाड़ी, डन्डों से साशय व ज्ञानपूर्वक मारपीट कर उपहतियां कारित कर हत्या करने का प्रयत्न किया ?"

36– जहां तक प्रश्न, अभियुक्तगण के द्वारा परिवादिया लक्ष्मी, मजरूबान टोनी व नारायण के साथ में खतरनाक हथियार कुल्हाड़ी व डण्डे से मारपीट कर चोट कारित करने का है, तो रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि जब मजरूबान लक्ष्मी और टोनी अपने घर के बाहर बैठे थे, तब अभियुक्तगण मोटरसाईकिल पर आये और गाड़ी साइड में लेने की बात को लेकर उनके मध्य झगड़ा हुआ और अभियुक्तगण के द्वारा अपने घर में जाकर लकड़ी, डण्डे लेकर आना और उससे मजरूबान के साथ में मारपीट किया जाना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से सामने आता है। परिवादिया लक्ष्मी के अपने बयानों से यह प्रमाणित है कि गाड़ी साईड में लेने की बात को लेकर उनके मध्य झगड़ा हुआ था। वह अपनी जिरह में स्वीकार करती है कि घटना एकाएक ही घटित हुई थी। पूर्व से अभियुक्त मजरूबान को मारपीट करने के आशय से लकड़ी, डण्डे लेकर आये हो, इस संबंध में दोनों मजरूबान लक्ष्मी व टोनी कोई कथन नहीं करते हैं। इस प्रकार, पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्तगण का मजरूबान लक्ष्मी, टोनी और नारायण के साथ में इस प्रकार की चोट कारित करने का आशय नहीं था, जिससे उनकी मृत्यु होने की संभावना हो एवं जो चोटें मजरूबान को कारित हुई हैं, उनका भी अवलोकन करते हैं तो मजरूब लक्ष्मी, टोनी व नारायण के जो चोटों कारित हुई हैं, वे सभी साधारण प्रकृति की व कुन्द हथियार से कारित हुई हैं। कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की कारित होना चिकित्सकीय साक्ष्य पीडब्ल्यू 8 डॉक्टर विपिन गुप्ता, पीडब्ल्यू 9 डॉक्टर नेहा तंवर, पीडब्ल्यू 7 डॉक्टर भंवर खलदानिया के बयानों से प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण में अभियुक्त आकाश से प्रदर्श पी 20 के जरिये एक अंग्रेजी बबूल की पुरानी लकड़ी जब्त की गई है। प्रकरण में अभियुक्तगण से कोई कुल्हाड़ी जब्त नहीं की गई है व अन्य मुल्जिम राधाकिशन से भी एक अंग्रेजी बबूल की लकड़ी जरिये प्रदर्श पी 21 के जब्त की गई है। अन्य कोई हथियार प्रकरण में जब्त नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियुक्तगण के द्वारा कोई खतरनाक हथियार घटना में प्रयोग में लिया गया हो और खतरनाक हथियार कुल्हाड़ी से अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान के साथ में मारपीट की गई हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में, पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा जो मारपीट मजरूबान के साथ में की गई है, वह पूर्वनियोजित योजना के तहत मुल्जिमान के साथ में चोट कारित करने के आशय से नहीं की गई थी। घटना एकाएक गाड़ी साइड में लेने की बात को लेकर घटित हुई है, जिसमें मुल्जिमान का ऐसा कोई आशय नहीं था, जिसमें कि मजरूबान के साथ में इस प्रकार की मारपीट की जाये, जिससे उनकी हत्या कारित करने का आशय हो एवं मुल्जिमान को ऐसी भी कोई चोट कारित नहीं हुई है, जो गंभीर प्रकृति की हो। सभी चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित हैं। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के द्वारा मजरूबान के साथ

में मारपीट कर उनकी हत्या कारित करने का प्रयास किया जाना अभियोजन पक्ष के द्वारा सन्देह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है।

37– अतः अभियुक्तगण आकाश व राजा अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध किए जाने योग्य पाये जाते हैं एवं अपराध अन्तर्गत धारा 341/149, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सन्देह के लाभ के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं एवं अभियुक्ता श्रीमती लाली अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323/149, 341/149, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सन्देह के लाभ के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य पायी जाती है।

आदेश

38– अतः अभियुक्तगण आकाश कहार पुत्र श्री राजू कहार उम्र 20 साल निवासी जवाहर की नाडी चन्द्रवरदाई नगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर एवं राजा कहार पुत्र श्री मुन्ना कहार उम्र 20 साल निवासी केयर ऑफ बाबुलाल रेगर का मकान गली नम्बर 05 दीपदर्शन कालोनी पुलिस थाना रामगंज अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता हैं एवं अपराध अन्तर्गत धारा 341/149, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सन्देह के लाभ के तहत दोषमुक्त किया जाता है एवं अभियुक्ता श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री करण गुर्जर उम्र 39 साल निवासी जवाहर की नाडी पुलिस थाना रामगंज अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323/149, 341/149, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सन्देह के लाभ में दोषमुक्त किया जाता है।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन् न्यायाधीश,
क्रम–04 अजमेर जिला अजमेर (राज०)

सजा के बिंदु पर :–

39– सजा के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण को मुख्य धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया है। यह उनका प्रथम अपराध है, पूर्व की कोई दोषसिद्धि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर उसे परिवीक्षा का लाभ अपनाया जावे।

40– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण के द्वारा आपस में मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मजरूबान के साथ मारपीट करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए मजरूबान लक्ष्मी व टोनी व उसके पिता नारायण के साथ में स्वेच्छया कुन्द हथियार से साधारण प्रकृति की चोटें कारित करने का अपराध साबित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अभियुक्तगण को पर्याप्त कारावास से दंडित किया जावे।

41– हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए मजरूबान लक्ष्मी व टोनी व उसके पिता नारायण के साथ में स्वेच्छया कुन्द हथियार से साधारण प्रकृति की चोटें कारित करने का अपराध प्रमाणित हुआ है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है एवं पूर्व की कोई दोषसिद्धि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने के संबंध में अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्तगण को तुरन्त दण्ड से दण्डित करने की बजाय परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

42– परिणामस्वरूप अभियुक्तगण आकाश कहार पुत्र श्री राजू कहार उम्र 20 साल निवासी जवाहर की नाडी चन्द्रवरदाई नगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर एवं राजा कहार पुत्र श्री मुन्ना कहार उम्र 20 साल निवासी केयर ऑफ बाबुलाल रेगर का मकान गली नम्बर 05 दीपदर्शन कालोनी पुलिस थाना रामगंज अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त 01 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/– रूपये का स्वयं का बंध पत्र व इसी कदर राशि की प्रतिभूति न्यायालय में इस आशय की पेश कर तस्दीक करावे कि वह उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, समाज में परिशांति बनाए रखेगा, न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिये तलब किए जाने पर उपस्थित होगा, तो उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जावे। साथ ही अभियुक्तगण धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत न्यायालय में 5,000–5,000 रुपये न्यायालय में बतौर अभियोजन व्यय जमा करायेंगे तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जावे।

43– अभियुक्तगण की ओर से जमा कराये गये अभियोजन व्यय में 4000–4000 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति मजरूबान लक्ष्मी व टोनी नियमानुसार प्राप्त करने के हकदार होंगे। चूंकि मजरूबान को 8000 रूपये अभियोजन व्यय बतौर क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश किये गये हैं, इसलिये मजरूबान को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 सपठित धारा 357 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत क्षतिपूर्ति हेतु अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

44– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बंबूल की लकड़ियां बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट की जावे। अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

45– प्रकरण में अन्य अभियुक्त कुनाल उर्फ कुशाल मफरूर है। अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन् न्यायाधीश,
क्रम–04 अजमेर जिला अजमेर (राज०)

46– निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन् न्यायाधीश,
क्रम–04 अजमेर जिला अजमेर (राज०)